### <u>न्यायालय—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)</u> (समक्ष—डी.एस.मण्डलोई)

<u>उत्तराधिकार प्रकरण क.-11 / 14</u> संस्थित दिनांक-05 / 03 / 13

- 1. गुलाबसिंह मर्सकोले आयु 53 वर्ष वल्द कमलसिंह,
- 2. कलाबाई आयु 50 वर्ष जीजे नरेन्द्र सिरसाज,
- 3. हेमराज आयु 47 वर्ष वल्द कमलसिंह
- 4. श्यामराज आयु 40 वर्ष वल्द कमलसिंह
- 5. रविन्द्र आयु 38 वर्ष वल्द कमलसिंह

निवासी पानीटोला वार्ड नं. 11 उकवा तहसील बैहर बालाघाट (म.प्र.) ........ आवेदकगण

### <u>विरूद्ध</u>

सर्वसाधारण	<u>अनावेदगण</u> 
आवेदक की ओर श्री वाय.आर. बिसेन अधिवक्ता। अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय।	and the said

# -:: <u>आ दे श</u> ::-

## (आज दिनांक-06/10/2014 को पारित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन—पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है।
- (02) आवेदकगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण के पिता कमलिसंह की मृत्यु दिनांक 25.4.2012 को एवं मां रूपनबाई की मृत्यु 01.5.2012 को हो गई। आवेदकगण कमलिसंह एवं रूपनबाई की एकमात्र संतान होकर उनके वैध उत्तराधिकारी है। आवेदकगण के पिता के नाम पर मंडला—बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में खाता क. 3697 में 24,506/— रूपये, सेंट्रल बैंक शाखा सोनपुरी(उकवा) में बचत खाता क. 1133 में 78,546/—रूपये, सिंडिकेट बैंक उकवा खाता क. 7713220, 0001265 में 32,243/—रूपये, अ.जा. सेवा वृहत सहकारी सिनित मर्यादित उकवा के खाता क. 747 में

889 / — रूपये, सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा उकवा सावधि जमा रसीद क. 178207 में 26,889 / — रूपये, सिंडिकेट बैंक शाखा उकवा सावधि जमा रसीद क. एस.एस. बी. 482584 में 50.995.16 / — रूपये, सिंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा उकवा सावधि जमा रसीद क. 520747 में 32,996 / — रूपये, सिंडिकेट बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद क. 493579 में 50,000 / — रूपये, मंडला—बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क. 178158 में 1,28,897 / — रूपये, मंडला—बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद का रसीद का 178464 में 50,000 / — रूपये, मंडला—बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद का 178466 में 60,000 / — रूपये जमा है। आवेदकगण के अतिरिक्त कमलसिंह एवं रूपनबाई के कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है। बैंक में जमा राशि प्राप्त करने के आवेदकगण वैध उत्तराधिकारी है। आवेदकगण को कमलसिंह मर्सकोले के नाम से उपरोक्त बैंक खातों में जमा राशि प्रदाय किये जाने का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया जावें।

(03) अनावेदक सर्वसाधारण पर विज्ञाप्ति का प्रकाशन होने के उपरान्त दिनांक—25. 6.2013 को अनावेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए है। अतः अनावेदक सर्वसाधारण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

### (04) विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या आवेदकगण स्व. कमलिसंह मर्सकोले के मंडला—बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में खाता क. 3697 में 24,506 / —रूपये, सेंट्रल बैंक शाखा सोनपुरी(उकवा) में बचत खाता क. 1133 में 78,546 / —रूपये, सिंडिकेट बैंक उकवा खाता क. 7713220, 0001265 में 32,243 / —रूपये, अ.जा. सेवा वृहत सहकारी सिमित मर्यादित उकवा के खाता क. 747 में 889 / —रूपये, सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा उकवा साविध जमा रसीद क. 178207 में 26,889 / —रूपये, सिंडिकेट बैंक शाखा उकवा साविध जमा रसीद क. एस.एस.बी. 482584 में 50.995.16 / —रूपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा उकवा साविध जमा रसीद क. 520747 में 32,996 / —रूपये, सिंडिकेट बैंक उकवा में साविध जमा रसीद क. 493579 में 50,000 / —रूपये, मंडला—बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा साविध जमा रसीद क. 178158 में 1,28,897 / —रूपये, मंडला—बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा साविध जमा रसीद क. जमवा साविध जमा रसीद क. 178158 में 1,28,897 / —रूपये, मंडला—बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा साविध जमा रसीद क. उकवा साविध जमा रसीद क.

सावधि जमा रसीद क. 178466 में 60,000 / —रूपये, कुल 5,75,961 / — रूपये के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण—पत्र प्राप्त करने की अधिकारी है ?

### -: सकारण निष्कर्ष :-

श्रीमती कलाबती (आ.सा. 1) के अभिवचन है कि कमलसिंह मर्सकोले (05)आवेदकगण के पिताजी एवं रूपनबाई आवेदकगण की मां थी। कमलसिंह की मृत्यु दिनांक 25.4.2012 को हो गई है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-1 तथा रूपनबाई की मृत्यु दिनांक 01.5.2012 को हो गई। उनकी मृत्यु पश्चात वह और उसके भाई एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। रूपनबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी—2 है। गुलाबसिंह, हेमराज, श्यामराज, रविन्द्र हैं, जिसमें से गुलाबसिंह की मृत्यु हो चुकी है। गुलाबसिंह की मृत्यु के बाद भाभी सुनीताबाई की भतीजी दीप्ति एवं कीर्ति हैं। उनके पिता कमलसिंह के नाम से मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में खाता क. 3697 में 24,506 / –रूपये है, जिसकी पासबुक प्रदर्श पी-3 है। सेंट्रल बैंक शाखा सोनपुरी उकवा में बचत खाता क. 1133 में 78,546 / – रूपये की पास बुक प्रदर्श पी–4 है। सिंडिकेट बैंक उकवा के खाता क. 7713220 में 32,243 / – रूपये की पासबुक प्रदर्श पी–5 है। सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. 178207 में 26,889 / – रूपये का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-6 है। सिंडिकेट बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. एस.एस.बी. 482584 में 50995.16 / -रूपये का प्रदर्श पी-7 है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. 520747 में 40,000 / -रूपये का प्रदर्श पी-8 है। सेंट्रल बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. 520661 में 32,996 / – रूपये की सावधि जमा रसीद प्रदर्श पी–9 है। सिंडिकेट बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद क. 493579 में 50,000 / - रूपये का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-10 है। मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क. 178158 में 1,28,897 / – रूपये का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–11 है। इसी प्रकार मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क. 178464 में 50,000 / —रूपये की रसीद प्रदर्श पी-12 है। मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद 178466 में 60,000 / —रूपये की रसीद प्रदर्श पी—13 है। अ.जा. सेवा वृहत सहकारी समिति मर्यादित उकवा के खाता क. 747 में 889 / – रूपये जमा है। मृतक कमलिसंह के नाम पर विभिन्न बैंकों में 5,75,961 / रूपये जमा है। जिसे प्राप्त करने के लिए वह एवं उसके भाई व भाभी तथा भतीजी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उनके अलावा मृतक कमलसिंह का अन्य

कोई उत्तराधिकारी नहीं है।

- (06) श्रीमती कलाबती (आ.सा. 1) के अभिवचन का समर्थन करते हुए रिवन्द्र मर्सकोले (आ.सा. 2) के भी अभिवचन है कि मृतक कमलिसंह मर्सकोले उसके पिताजी थे तथा रूपनबाई उसकी मां थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जिनके चार लड़के एवं एक लड़की है। सबसे बड़े भाई गुलाबिसंह मर्सकोले की मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद सुनीताबाई उसकी भाभी तथा दीप्ति और कीर्ति उसकी भतीजी है तथा शेष भाई हेमराज, श्यामराज तथा वह रिवन्द्र हैं। उनके अलावा मृतक कमलिसंह का कोई वारिस नहीं है। मृतक कमलिसंह के नाम पर विभिन्न बैंकों में अलग—अलग राशि जमा है। जिसे वह, उसकी भाभी सुनीता मर्सकोले, भतीजी दीप्ति, कीर्ति एवं हेमराज, श्यामराज तथा कलाबतीबाई प्राप्त करने के हकदार है।
- ॔ऒवेदकगण द्वारा प्रस्तुत कमलसिंह मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी−1 तथा रूपनबाई का मृत्यू प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-2 से दर्शित होता है कि कमलसिंह एवं उसकी पत्नी रूपनबाई की मृत्यु हो चुकी है। कमलसिंह के नाम से मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में खाता क. 3697 में 24,506 / – रूपये की पासबुक प्रदर्श पी–3, सेंट्रल बैंक शाखा सोनपुरी उकवा में बचत खाता क. 1133 में 78,546 / - रूपये की पास बुक प्रदर्श-पी4, सिंडिकेट बैंक उकवा के खाता क. 7713220 में 32,243 / -रूपये की पासबुक प्रदर्श पी-5, सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. 178207 में 26,889 / – रूपये का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी–6, सिंडिकेट बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. एस.एस.बी. 482584 में 50995.16 / -रूपये का प्रदर्श पी-7, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. 520747 में 40,000 / –रूपये का प्रदर्श पी-8, सेंट्रल बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. 520661 में 32,996 / - रूपये की सावधि जमा रसीद प्रदर्श पी-9, सिंडिकेट बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद क. 493579 में 50,000 / – रूपये का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी–10, मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क. 178158 में 1,28,897 / – रूपये का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–11, मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क. 178464 में 50,000 / – रूपये की रसीद प्रदर्श पी-12, मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद 178466 में 60,000 / – रूपये की रसीद प्रदर्श पी–13 से तथा अ.जा. सेवा वृहत सहकारी समिति मर्यादित उकवा के खाता क. 747 में 889 / - रूपये जमा होना दर्शित होता है। इस प्रकार

मृतक कमलिसंह के नाम पर विभिन्न बैंकों में कुल 5,75,961 / -रूपये जमा है।

- आवेदकगण की अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं दस्तावेजों का खंडन अनावेदक सर्वसाधारण के एकपक्षीय रहने से नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि आवेदकराण स्व. कमलसिंह के विभिन्न में जमा राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अधिकारी है। फलतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम स्वीकार कर स्वीकार किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि आवेदकगण द्वारा स्व. कमलसिंह मर्सकोले की मृत्यू उपरांत कमलिसंह मर्सकोले के नाम से मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में खाता क. 3697 में 24,506 / – रूपये, सेंट्रल बैंक शाखा सोनपुरी उकवा में बचत खाता क. 1133 में 78,546 / – रूपये, सिंडिकेट बैंक उकवा के खाता क. 7713220 में 32,243 /- रूपये, सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. 178207 में 26,889 / – रूपये, सिंडिकेट बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. एस.एस.बी. 482584 में 50995.16 / –रूपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. 520747 में 40,000 / – रूपये, सेंट्रल बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. 520661 में 32,996 / –रूपये, सिंडिकेट बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद क. 493579 में 50,000 / —रूपये, मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क. 178158 में 1,28,897 / – रूपये, मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क. 178464 में 50,000 / -रूपये, मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद 178466 में 60,000 / – रूपये तथा अ.जा. सेवा वृहत सहकारी समिति मर्यादित उकवा के खाता क. 747 में 889 / रूपये, इस प्रकार विभिन्न बैंकों में कुल 5,75,961 / — (पांच लाख पचहत्तर हजार नो सो इकसट रूपये) प्राप्त करने हेतु विधिवत स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर, आवेदकगण के पक्ष में निम्न शर्त के अधीन उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया जावें :-
- (1.) आवेदकगण मृतक कमलसिंह मर्सकोले के वैध उत्तराधिकारी हैं।
- (2.) आवेदकगण मृतक स्व. कमलिसंह मर्सकोले की मृत्यु उपरांत मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में खाता क. 3697 में 24,506/—रूपये, सेंट्रल बैंक शाखा सोनपुरी उकवा में बचत खाता क. 1133 में 78,546/—रूपये, सिंडिकेट बैंक उकवा के खाता क.

#### -//06//- <u>उत्तराधिकार प्रकरण क.-11/14</u>

7713220 में 32,243 / — रूपये, सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. 178207 में 26,889 / — रूपये, सिंडिकेट बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. एस.एस.बी. 482584 में 50995.16 / — रूपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. 520747 में 40,000 / — रूपये, सेंट्रल बैंक शाखा उकवा में सावधि जमा रसीद क. 520661 में 32,996 / — रूपये, सिंडिकेट बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद क. 493579 में 50,000 / — रूपये, मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क. 178158 में 1,28,897 / — रूपये, मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा सावधि जमा रसीद क. 178464 में 50,000 / — रूपये, मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद क. 178466 में 60,000 / — रूपये, मण्डला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उकवा में सावधि जमा रसीद क. 747 में 889 / — रूपये, इस प्रकार विभिन्न बैंकों में कुल 5,75,961 / — (पांच लाख पचहत्तर हजार नौ सौ इकसठ रूपये) प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—1, व्य. बेह्

(डी.एस.मण्डलोई) व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) -//07//- 3

ATTACON STREET OF THE PARTY OF